संख्या-18/2019/321/क0नि0प्र0/26-3-2019-13(74)/91

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 8 मार्च, 2019
समाज कल्याण विभाग

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अंशपूंजी की मद में धनराशि (केन्द्रांश) की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अंशपूंजी की मद में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश रू0 42.02 लाख (रू0 बयालिस लाख दो हजार मात्र) की धनराशि उक्त निगम को उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित की जायेगी।

3- यह अंश पूंजी रू0 100/- मूल्य के इक्यूटी शेयर्स के रूप में होगी। कृपया इतनी संख्या के शेयर महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जारी कराना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि चुकता अंशपूंजी के सभी शेयर जारी/आवंटित हो चुके हैं।

4- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध करा दिये जायेगें। इस अनुदान पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-एक अध्याय-16 ए के नियम और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियम लागू होगें।

5- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अंशकों का क्रय (के.49/रा.51-के.+रा.)-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ0संख्या-18/2019/321(1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ।
6. नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण ,उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीशकुमार
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।